

प्रेस नोट दिनांक 27.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

खेत में फसल काटने के दौरान महिला से मारपीट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी/डंडा बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 225/2026 से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी/डंडा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी निवासिनी ग्राम कोड़री सरुआ, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 01.10.2026 को सुबह जब वह अपने खेत में उड़द की फसल काटने गई थी, तभी पुरानी रंजिश को लेकर राजू वर्मा, श्रीपाल वर्मा, गुड्डी वर्मा, सावित्री, प्रीती वर्मा एवं 02 अन्य अज्ञात व्यक्ति एकराय होकर लाठी-डंडा एवं कुल्हाड़ी लेकर खेत में आ गए तथा वादिनी को घेरकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर चोटें पहुंचाई और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। उक्त प्रकरण में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 191(2), 115(2), 352 एवं 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 दिनेश कुमार, का0 कुलदीप पाल, का0 रामकिशन, म0का0 पूजा विश्वकर्मा एवं म0का0 प्रियंका पटेल द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम कोड़री सरुआ से अभियुक्त 1. श्रीपाल वर्मा पुत्र सुखई वर्मा 2. राजू वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासीगण ग्राम कोड़री सरुआ थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर हरमापुर रोड के पास झाड़ियों से घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी/डंडा बरामद किया गया। बरामदगी की कार्यवाही ई-साक्ष्य ऐप पर वीडियोग्राफी कराकर नियमानुसार संपन्न की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. श्रीपाल वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासी ग्राम कोड़री सरुआ, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. राजू वर्मा पुत्र सुखई वर्मा निवासी ग्राम कोड़री सरुआ, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

02 अदद लाठी/डंडा (घटना में प्रयुक्त)।

पुलिस टीम-

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 दिनेश कुमार, का0 कुलदीप पाल, का0 रामकिशन, म0का0 पूजा विश्वकर्मा एवं म0का0 प्रियंका पटेल, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

साइबर क्राइम थाना प्रतापगढ़

पुलिस की मेगा डिजिटल स्ट्राइक

PM किसान सम्मान निधि योजना में सेंध लगाने वाले अंतरजनपदीय रैकेट का महाभंडाफोड़; कुण्डा तहसील के संविदा ऑपरेटर सहित 03 मास्टरमाइंड गिरफ्तार!

Apple iPhone 16 Pro, Samsung S25, Vivo V29 Pro – 02 अदद, Realme 8, HP व Acer लैपटॉप और बायोमेट्रिक डिवाइस सहित भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद।

"अपात्रों को बनाया किसान, खुद बने धनवान—डिजिटल सेंधमारी का खुला राज!"

उत्तर प्रदेश शासन की जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) नीति और पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के कुशल नेतृत्व व साइबर नोडल अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी (नगर) के कुशल निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, साइबर क्राइम थाना प्रतापगढ़ पुलिस को एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के सरकारी पोर्टल की लॉगिन आईडी0/पासवर्ड का दुरुपयोग कर, बिना किसी भूमि रिकॉर्ड के, सुनियोजित रूप से अपात्रों का फर्जी पंजीकरण करने वाले एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। _____

सलाखों के पीछे पहुंचे शातिर अभियुक्तगण (गिरफ्तार):

1. शिवकुमार यादव (उम्र 24 वर्ष)

पिता: श्री गंगाप्रसाद यादव

पता: ग्राम सराय छत्ता (धिंईपुर), पोस्ट कोटा भवानीगंज, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़।

भूमिका: मुख्य सीएससी (CSC) संचालक, जो अपात्रों से अवैध वसूली कर पोर्टल पर डायरेक्ट एंट्री करता था।

2. अनुराग गुप्ता (उम्र 32 वर्ष)

पिता: कन्धई लाल गुप्ता

पता: पाण्डेय का पुरवा, अंखुरिया, थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

भूमिका: तहसील कुण्डा में तैनात संविदा वीआरसी ऑपरेटर, जिसने सरकारी आईडी0 व पासवर्ड को बाईपास कर लीक किया।

3. जितेन्द्र कुमार (उम्र 30 वर्ष)

पिता: देवतादीन

पता: ग्राम नया पुरवा, सरायकीरत भदरी, थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

भूमिका: सिंडिकेट का मुख्य सहयोगी व अवैध ट्रांजैक्शन की रकम को खपाने वाला नेटवर्क पार्टनर।

बरामदगी का विवरण (High-Tech Seizure):

लैपटॉप: 02 अदद (01 ACER कम्पनी एवं 01 HP कम्पनी मय चार्जर)।

हाई-एंड स्मार्टफोन: 05 अदद

Apple iPhone 16 Pro (अनुराग गुप्ता के पास से बरामद)

SAMSUNG S25 (अनुराग गुप्ता के पास से बरामद)

Vivo V29 Pro (जितेन्द्र से बरामद)

Vivo V29 Pro (शिवकुमार से बरामद)

Realme 8 (शिवकुमार से बरामद)

सिम कार्ड: 07 अदद एक्टिवेटेड सिम कार्ड (Airtel, Jio, VI) ।

बायोमेट्रिक डिवाइस: 01 अदद फिंगर स्कैनर डिवाइस ।

डिजिटल साक्ष्य: अवैध लेन-देन के UPI स्क्रीनशॉट्स, AnyDesk रिमोट वीडियो और धोखाधड़ी के व्हाट्सएप ग्रुप्स।

कठोर विधिक कार्रवाई (पंजीकृत अभियोग):

मुकदमा अपराध संख्या: 30/2026

संगीन धाराएं:

BNS (भारतीय न्याय संहिता): धारा 318(4), 319(2) , 338, 336(3), 340(2), 61(2) ।

IT Act (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम): धारा 66C व 66D ।

सम्बन्धित थाना: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, जनपद प्रतापगढ़।

सराहनीय कार्य करने वाली जांबाज पुलिस टीम:

निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह भदौरिया (प्रभारी निरीक्षक, साइबर क्राइम थाना, प्रतापगढ़)

निरीक्षक दिवाकर सिंह यादव (निरीक्षक/विवेचक)

उ0नि0 नदीम खाँ

का0 सत्येन्द्र यादव

का0 हैप्पी बाबू

आरक्षी चालक भैयाराम

समस्त साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम ।

प्रतापगढ़ पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध हमेशा तत्पर व कटिबद्ध है!

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 150 अदद बड़े गोला पटाखों के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 150 अदद बड़े गोला पटाखों के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 27.10.2026 को उ०नि० श्री संतोष कुमार पासवान मय हमराह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग तथा दीपावली पर्व के दृष्टिगत पटाखों की दुकानों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम लक्ष्मीगंज में अभियुक्त मो० नसीम पुत्र शेरअली निवासी लक्ष्मीगंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 अदद बड़े गोला पटाखे बरामद किए गए।

उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना महेशगंज पर मु०अ०सं० 275/2026 धारा 125 बीएनएस एवं धारा 5/9(ख) 1(क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद पटाखों को नियमानुसार निष्क्रिय कराया गया तथा कुछ अवशेषों को जांच हेतु सुरक्षित रखा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. मो० नसीम पुत्र शेरअली, निवासी लक्ष्मीगंज, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

150 अदद बड़े गोला पटाखे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

उ०नि० संतोष कुमार पासवान मय हमराह का० प्रिन्स सेन, का० अनिल यादव, रि०का० सिंह अभिषेक अयोध्या, रि०का० रवि यादव, म०का० अंजली भारती थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।